

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/SSR-2017/4273

जयपुर, दिनांक 23-11-2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2017 - पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 4273 दिनांक 23.11.2016 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 4273 दिनांक 23.11.2016 द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न चरणों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त क्रम में विभाग के प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या-7.2 की पंक्ति संख्या 6 में "यथा स्थिति ERO कार्यालय अथवा" को विलोपित कर पढा जावे अर्थात् डेटा एन्ट्री का कार्य अनुबंधित फर्म के माध्यम से कराया जाए।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीया,



(डॉ. रेखा गुप्ता)

अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

जयपुर, दिनांक

क्रमांक: प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/SSR-2017/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संभागीय आयुक्तगणों को प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि जिलों में अपने भ्रमण के दौरान उक्त दिशा-निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, निर्वाचन विभाग, कृपया निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान